

श्री दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के दिनांक
22.03.2022 के दौरे की
निरीक्षण टिप्पणी

दिनांक 22.03.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद चम्पावत में हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के शारदा राजि के शारदा टापू वन ब्लाक (आरक्षित वन क्षेत्र) के शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, शारदा उप प्रभाग, टनकपुर के साथ उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया।



- हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के शारदा राजि के शारदा टापू वन ब्लाक (आरक्षित वन क्षेत्र) के नदी तल शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है० वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा उप प्रभाग, टनकपुर, वन क्षेत्राधिकारी, शारदा एवं वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ क्षेत्र तथा अधीनस्थ स्टाफ भी उपस्थित थे।
- उक्त परियोजना हेतु 384.69 है० आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।
- उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः उक्त कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003, ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 1298 / 20-2(6) हल्द्वानी, दिनांक, 22-3-2022।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रयोजन उन्निष्कर्ष द्वारा प्रस्ताव
को श्व में Mining के स्थान पर other
category में upload किया गया था, जिसे
पुनः संशोधित कर upload किया जा रहा है।
दि०-26/04/22

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी